

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या सी- 105/ई-1

दिनांक, लखनऊ, 31 मार्च, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

कार्य की आवश्यकता को देखते हुये श्री शैलेन्द्र गौड़, मुख्य अभियन्ता के दिनांक 31.3.18 को सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले मुख्य अभियन्ता, कार्मिक अधि० 7/8, लखनऊ के पद का कार्य अभिभ आदेशों अथवा नियमित व्यवस्था होने तक जो भी पहले घटित हो नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अर्न्तगत श्री विजय कुमार अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, लखनऊ को अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं।

इस निर्मित श्री अग्रवाल को वरिष्ठता/द्वैत कार्यभार भत्ता एवं अन्य कोई अतिरिक्त भत्ते देय नहीं होंगे।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई

संख्या:सी- 105 (1)/ई-1/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, 30प्र० शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या:3636/27-1-2017-01/14 दिनांक 24.11.2017 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में शासकीय सहमति हेतु।
- 2- प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना सि०वि०, 30प्र०, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता, नियोजन, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता, (कार्मिक अधि० 7/8)/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, लखनऊ।
- 5- संबंधित अधिकारी।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर सेन्टर, लखनऊ।
- 7- वैयक्तिक सहायक, कार्यालय प्रबन्ध अनुभाग-1, सि०वि०, 30प्र०, लखनऊ।
- 8- वैयक्तिक सहायक प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
- 9- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (ई-3)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-1), सि०वि०, लखनऊ।
- 10- वै०प०/कटकाइल हेतु।

(अजय कुमार त्रिवेदी)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक 1/3)

AE, CC
100
21/4/18

21/4/18